न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1356-एक/1012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 31-1-2012 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील गोपद बनास जिला सीधी - प्रकरण क्रमांक 12 अ-12/2011-12

1- सुश्री मानवती सोनी पुत्री रामकिशोर सोनी
2- श्रीमती देवी सोनी पुत्री स्व0 रामकिशोर सोनी
3- राजरूप गुप्ता पुत्र रामसागर गुप्ता
सभी ग्राम कोटहा तहसील गोपद बनास
जिला सीधी मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन
2- राकेश कुमार अवधिया पुत्र कृष्णकुमार अवधिया
ग्राम पहलेपुल कोटहा तहसील गोपद बनास
जिला सीधी मध्य प्रदेश --- अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री तुलसीदास मिश्रा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री शॅभूप्रसाद वर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 07-6-2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गोपद बनास जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 12 अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 31-01-2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार गोपद बनास के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अंतर्गत आवेदन पत्र

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके स्वामित्व की भूमि खसरा कमांक 82 मिन 10 रकबा 0.02 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का सीमांकन किया जावे। तहसीलदार गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 12 अ-12/2011-12 पॅजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक गिर्द प्रथम से मौके की स्थिति अनुसार सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त किया, जिस पर मानवती सोनी, देवी सोनी एंव रामरूप गुप्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार ने पक्षकारों को श्रवण कर आदेश दिनांक 31-1-2.12 पारित किया तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निरस्त करते हुये राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन को पुष्टिकृत किया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के कम में आवेदक के अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किये गये कि तहसीलदार के सीमांकन आदेश के कम में राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने मौके पर सीमांकन कार्यवाही नहीं की है तथा भूमि की पैमायश एंव नाप नहीं ली है । जब वादग्रस्त भूमि का नक्शा तर्मीम नहीं है तथा क्षेत्र पुस्तक नहीं बनाई गई है भूमि का सीमांकन करना संभव नहीं है । तहसीलदार ने आपत्ति के तथ्यों पर विचार किये बिना तथा वास्तविक स्थिति समझे बिना राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये त्रृटिपूर्ण सीमांकन को पुष्टीकृत करने में भूल की है इसलिये तहसीलदार गोपद बनास जिला सीधी के प्रकरण कमांक 12 अ-12/2011-12 में पारित आदेश दि. 31-1-2012 को निरस्त किया जावे।

अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि कोई भी भूमिस्वामी अपनी भूमि की चतुर्सीमा का ज्ञान धारा 129 के अंतर्गत सीमांकन शुल्क जमा कराकर करवा सकता है राजस्व निरीक्षक ने विधिवत् मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देकर मौके पर सीमांकन किया है एंव तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर आदेश पारित किया है । आवेदकगण द्वारा अनावेदक की भूमि दवाने का जबरन प्रयास किया जा रहा था उन्होंने तहसीलदार का आदेश यथावत् रखने एंव निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि राजस्व निरीक्षक गिर्द प्रथम ने भूमि की पैमाशय करने वावत् आदेश प्राप्त होने के वाद सभी मेढ़िया कारतकारों को सूचना दी है जिसके कारण मेढ़िया कास्तकारों के समक्ष सीमांकन होना परिलक्षित है और सीमा-चिन्हों का संज्ञान होने के कारण आवेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की है एंव तहसीलदार गोपद बनास ने आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया है । महिला देवी सोनी एंव मानवती सोनी से पॅजीकृत विक्रय पत्र से भूमि सर्वे नंबर 82/मिन 94 के रकबा 0.12 है. को रामरूप गुप्ता को दिनांक 28-7-11 को विक्रय किया है किन्तु राजस्व निरीक्षक ने अनावेदक की **भूमि खसरा क्रमांक 82 मिन 10 रकबा 0.02 हैक्टर का सीमांकन किया है जो आवेकदगण की भूमि से भिन्न भूमि है। यदि आवेदकगण वाद विचारित सीमांकन से स्वयं् की भूमि प्रभावित होना मानते हैं** तब वह **स्वयं् की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र हैं जिसके कारण राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही** पर से तहसीलदार, तहसील गोपद बनास जिला सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 12 अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 31-01-2012 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार, तहसील गोपद बनास जिला सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 12 अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 31-01-2012 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर